न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 127/2020 **दायर दिनांकः 21/08/2020**

उनवान

1. नन्दलाल आयु 65 वर्ष पुत्र कालूलाल उर्फ काल्या उर्फ पन्ना जाति धोबी निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश

दिनाकः 15/03/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 8 ख0नं0 167 रकबा 0.90 है0 किता 1 रकबा 0.90 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही हैं। तथा खाता सं. 9 ख0 नं0 168/688 रकबा 0.20 है0 , ख0नं0 193 रकबा 0.28 है0 , ख0नं0 6 रकबा 1.34 है0 ,ख0नं0 617/716 रकबा 0.07 है0 , ख0नं0 618 रकबा 0.73 है0 किता 5 रकबा 2.62 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादी का नाम नन्दलाल पुत्र पन्ना दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाके ग्राम एवं माल छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 63 ख0नं0 577/765 रकबा 0.05 है0 , ख0 नं0 578 रकबा 0.09 है0 , ख0नं0 579 रकबा 0.09 है0 , ख0नं0 580/733 रकबा 0.06 है0 ,ख0नं0 582 रकबा 0.34 है0, ख0नं0 589 रकबा 0.44 है0 किता 6 रकबा 1.07 है0 आराजी वादी के खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमे वादी का नाम नन्दलाल पुत्र काल्या दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजो में वादी का नाम नन्दलाल पुत्र कालूलाल जाति धोबी निवासी छैलाबेल दर्ज है। जिसकी छाया प्रतिया वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादी के पिता कालूलाल के गांव में पन्ना व काल्या दोनों नाम से जाना जाता था इसलिए वादी के पिता के स्वर्गवास के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम पन्ना तथा वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम काल्या सहवन से सहखातेदारान ने दर्ज करवा दिया था। जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी व वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित दस्तावेजों में कालूलाल दर्ज है। जो वादी के पिता का सही नाम है। वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी के पिता का गलत नाम पन्ना दर्ज होने के कारण वादी अपनी आराजी का कृषि विकास नही करवा पा रहा है तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम पन्ना के स्थान पर सही नाम कालूलाल व वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी में काल्या के स्थान पर सही नाम कालूलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना सम्भव नही हैं। यदि वाद पत्र की मद नं० 1 व 2 मे वर्णित आराजी मे वादी के पिता का वास्तविक नाम कालूलाल दर्ज नही किया गया तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पावेगा। जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है। अस्तु वादी प्रतिवादी से वाद पत्र की मद नं० 1 व 2 मे वर्णित आराजी में पन्ना व काल्या के स्थान पर सही नाम कालूलाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवाने की अधिकारी हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 104.08.2020 को नकल लेकर प्रधान मन्त्री किसान सम्मान निधी योजना के लिए आवेदन करने पर व अन्तिम बार दिनांक 14.08.2020 को जमाबन्दी में गलत नाम पन्ना व काल्या दर्ज होने के कारण आवेदन निरस्त हो जाने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र मे उत्पन्न हुआ है। प्रतिवादी भूमि धारक होने व वाद नाम दुरुस्ती होने के कारण राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। विवाद ग्रस्त आराजी एवं पक्षकारा तहसील क्षैत्र अटरू मे स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को इस वाद को सनने के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय मे वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम पन्ना के स्थान पर सही नाम कालूलाल व मद नं0 2 में वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम काल्या के स्थान पर सही नाम कालूलाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी कों प्रदान किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादिया को प्रदान की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज र[illegible]किया गया, तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न [illegible] के कारण जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 व pw 2 के [illegible] करवाये गये तथा रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया, तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित आराजी में वादी के

पिता का नाम पन्ना के स्थान पर सही नाम कालूलाल व मद नं0 2 में वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम काल्या के स्थान पर सही नाम कालूलाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी कों प्रदान किया जावें तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड , भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, में वादी का नाम नन्द लाल पुत्र कालूलाल दर्ज है। तथा कार्यालय ग्राम पंचायत खुरी का प्रमाण पत्र दिनांक 25.01.2021 में नन्दलाल पुत्र पन्ना उर्फ नन्दलाल पुत्र काल्या दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

अतः प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। विवादित ग्राम एवं माल छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 8 किता 1 रकबा 0.90 है0 व खाता सं. 9 किता 5 रकबा 2.62 है0 में नन्दलाल पुत्र पन्ना के स्थान पर नन्दलाल पुत्र कालूलाल उर्फ काल्या उर्फ पन्ना व खाता संख्या 63 किता 6 रकबा 1.07 है0 में नन्दलाल पुत्र काल्या के स्थान पर नन्दलाल पुत्र कालूलाल उर्फ काल्या उर्फ पन्ना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 127/2020

उनवान

1. नन्दलाल आयु 65 वर्ष पुत्र कालूलाल उर्फ काल्या उर्फ पन्ना जाति धोबी निवासी छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित ग्राम एवं माल छैलाबेल तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 8 किता 1 रकबा 0.90 है0 व खाता सं. 9 किता 5 रकबा 2.62 है0 में नन्दलाल पुत्र पन्ना के स्थान पर नन्दलाल पुत्र कालूलाल उर्फ काल्या उर्फ पन्ना व खाता संख्या 63 किता 6 रकबा 1.07 है0 में नन्दलाल पुत्र काल्या के स्थान पर नन्दलाल पुत्र कालूलाल उर्फ काल्या उर्फ पन्ना दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15/03/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.04.05 16:56:45 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)